

हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ।

संख्या: एस0टी0ई0-एफ (4)-2/2008

तारीख शिमला--2,

13 अगस्त, 2009

अधिसूचना

जीव अनाशित पदार्थों से निर्मित प्लास्टिक कैंरी बैगज और प्लेस्टिक कैंरी के उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की प्रयोज्य वस्तुओं जैसे कप, गिलास व प्लेस्टिक के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए 15-8-2009 से प्रभावी होने वाली समसंख्यक अधिसूचना तारीख 7-7-2009 को जारी की गई है।

और हिमाचल प्रदेश में वाणिज्यिक संगठनों, व्यापार मण्डलों व अन्य संस्थाओं ने प्रतिबन्ध लागू करने से पूर्व, समय सीमा में विस्तार करने के लिए प्रतिवेदन दिए हैं, तब से वे अपने विद्यमान स्टॉक का निपटारा कर सकें।

अतः पूर्वोक्त तथ्य के दृष्टिगत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 7-7-2009 में आंशिक उपांतरण करते हुए यह अधिसूचना करती हैं कि पॉलीथीन/प्लास्टिक कैंरी बैगज और जीव अनाशित कचरे के बिखरने पर घोषित प्रतिबन्ध 15 अगस्त, 2009 के स्थान पर 2 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा। तथापि प्रयोज्य कप, प्लेट व गिलास के प्रयोग पर प्रतिबन्ध का प्रवर्तन तत्समय के लिये आरम्भित किया गया है।

इसके अतिरिक्त यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध और हस्तन) नियम, 1998 के अधीन यथा परिभाषित जीव-चिकित्सा संस्थानों को जीव चिकित्सा के प्रबन्धन के लिए प्लास्टिक बैगों का उपयोग करने हेतु अनुज्ञापित किया जाता है।

यह भी अधिसूचित किया जाता है कि तारीख 7-7-2009 की समसंख्यक अधिसूचना में-

- i) अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ के पैरा-1 में आए शब्दों, "Himachal Pradesh Biodegradable Garbage (Control) Act. 1995" के स्थान पर "Himachal Pradesh Non- Biodegradable Garbage (Control) Act. 1995" रखे जाएंगे।
- ii) पैरा-6 में "दुकानदारों, विक्रेताओं, थोक व्यापारियों, फुटकर विक्रेताओं, फेरी वालों, रेहड़ी वालों आदि सहित कोई भी व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "दुकानदार, विक्रेता, थोक व्यापारी, फुटकर विक्रेता, फेरी वाला, रेहड़ी वाला आदि" शब्द रखे जाएंगे।
- iii) पैरा-9 के क्रम संख्या (क) के अधीन वर्तित विद्यमान शब्द, "एवं प्लास्टिक वस्तुओं" का लोप किया जाएगा।

- iv) पैरा-9 के कम संख्या '(ख)' और '(ग)' के अक्षर वर्णित शब्द, "प्लास्टिक कचरे" के स्थान पर शब्द "जीव-अनाशित कचरे" शब्द रखे जाएंगे।

आदेश है।

(सरोजिनी मल्ल हार)
प्रधान सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्या: यथा उपरोक्त । तारीख शिमला-2, 3 अगस्त, 2009
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक वारंवाई हेतु प्रेषित है।

- 1 सचिव, राज्यपाल, हि0 प्र0, शिमला-2 ।
- 2 प्रधान निजी सचिव, मुख्य मन्त्री, हि0 प्र0 शिमला -2 ।
- 3 समस्त निजी सचिव, मा0 मन्त्री, हि0 प्र0, शिमला -2 ।
- 4 निजी सचिव, मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार, शिमला -2 ।
- 5 समस्त प्रशासनिक सचिव, हि0 प्र0 सरकार ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष, हि0 प्र0 ।
- 7 समस्त जिलाधीश, हि0 प्र0 तथा उनसे आग्रह है कि उपरोक्त अधिसूचना की प्रति उनके अधीन समस्त उप-मण्डलाधिकारियों (ना0), तहसीलदारों व नायब-तहसीलदारों को वितरित करने की कृपा करें तथा इस बारे इस विभाग को अवगत करवाएं ।
- 8 आयुक्त, आवकारी एवं कराधान, हि0 प्र0 तथा उनसे आग्रह है कि उपरोक्त अधिसूचना की प्रति उनके अधीन समस्त उप-सहायक आवकारी एवं कराधान अधिकारियों को वितरित करने की कृपा करें तथा इस बारे इस विभाग को भी अवगत करवाएं।
- 9 निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि0 प्र0 तथा उनसे आग्रह है कि उपरोक्त अधिसूचना की प्रति उनके अधीन नगर परिषद/नगर पंचायत के समस्त सचिवों का वितरित करने की कृपा करें तथा इस बारे इस विभाग को अवगत करवाएं।
- 10 निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हि0 प्र0 तथा उनसे आग्रह है कि उपरोक्त अधिसूचना की प्रति उनके अधीन समस्त नियन्त्रकों को वितरित करने की कृपा करें तथा इस बारे इस विभाग को अवगत करवाएं।
- 11 प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन, हि0 प्र0 तथा उनसे आग्रह है कि उपरोक्त अधिसूचना की प्रति उनके अधीन समस्त वन परिक्षेत्राधिकारियों तथा वन उप-परिक्षेत्राधिकारियों को वितरित करने की कृपा करें तथा इस बारे इस विभाग को अवगत करवाएं।
- 12 समस्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, निगम/बोर्ड, हि0 प्र0 ।
- 13 निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नारायण विला, शिमला -2 ।
- 14 सदस्य सचिव, हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अधो-बीसीएस, शिमला -9 ।
- 15 सदस्य सचिव, हि0 प्र0 राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, जसुम्पटी, शिमला-9
- 16 नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला -4
- 17 गार्ड नरित ।

(सरोजिनी मल्ल हार)
संयुक्त सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।